उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
लखनऊ : दिनांक 20/09/2023

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–24/2019 /704 /आठ–5–19–01ई/16, दिनांक 04.06.2019 द्वारा उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात विनियमित नये प्रवेशकों के सम्बन्ध में नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू की गयी है।

2– उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के दिनांक 01.04.2005 अथवा उसके पश्चात नियुक्त /विनियमित किये गये नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में एतद्द्वारा निम्न व्यवस्था लागू की जाती है:–

(1) वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के पत्र संख्या–05/2019/सा–3–91/दस–2019–301(9)/2019 दिनांक 13.02.2019 के कम में नव परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत् वेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा नियोक्ता अंशदान दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाता है।

(2) दिनांक 01.04.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान सम्बन्धी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–31/2016/सा–3–जी0आई0–17/दस–2016–301(9)2011 दिनांक 06.10.2016 द्वारा प्राविधानित व्यवस्था को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा के दिनांक 01.04.2005 के बाद नियुक्त एवं नव–परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों हेतु अंगीकृत करते हुए तद्नुसार दिनांक 01.04.2005 से सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ अनुमन्य किया जाता है।

(3) इस सम्बन्ध में आने वाला व्यय–भार सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।

(4) इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय–भार सृजित नहीं किया जायेगा।

Signed by अरूणेश कुमार
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।
Date: 20-09-2023 13:03:19
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण/अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

(2) वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।